**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 4 / 2020 (उदयपुर डिक्की)**

1. ई वरलाल पिता स्वर्गीय श्री वेणा उर्फ वेणीराम मेघवाल, निवासी नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. टीलाराम पिता स्वर्गीय श्री वेणा उर्फ वेणीराम मेघवाल, निवासी नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. रामलाल पिता स्वर्गीय श्री वेणा उर्फ वेणीराम मेघवाल, निवासी नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती चुन्नी पिता स्वर्गीय श्री वेणा उर्फ वेणीराम मेघवाल, निवासी खाकों का कुआ, वीर धोलिया, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती रूपी पत्नी स्वर्गीय श्री वेणा उर्फ वेणीराम मेघवाल, निवासी नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. भगवानलाल पिता लाला जी वेणीराम मेघवाल, निवासी नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त. अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्की उपखण्ड अधिकारी मावली दि॰
30–01–2017 प्रकरण सं॰ 36 / 2006

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री राम ाक दीपी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाशक रेस्पो.सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 28–09–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:42 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नूरडा में आराजी नंबर 686 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है एवं आराजी नंबर 650, 656 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं आराजी नंबर 2701/673 रकबा 15 बिस्वा भूमि मुझ वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज है। आराजी 686 संयुक्त रूप से दर्ज होने से वादी उक्त भूमि का विभाजन कराना चाहता है। आराजी नंबर 650, 656 व 2701/673 जो मुझ वादी के नाम स्वतंत्र रूप से दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं होते हुए वह वादी के कब्जे का त में दखलन्दाजी करता है। अतः आराजी नंबर 686 का विभाजन कराया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा स्वतंत्र रूप से दर्ज किया जावे तथा आराजी नंबर 650, 656 एवं 2701/673 में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि आराजी नंबर 686, 650, 656 व 2701/673 में प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा है, जिसका वह उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 686, 650, 656 व 2701/673 का बंटवारा किया जाकर वादी को जरिये स्थायी निशेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रतिवादी के 1/2 हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28–09–2007 से वादी का वाद आंि ाक रूप से स्वीकार कर आराजी नंबर 686 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोशित किया तथा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए आराजी नंबर 686, 650, 656 व 2701/673 में प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोशित कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12–03–2012 को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 30–01–2017 से अपीलान्ट/वादी का वाद आंि ाक रूप से स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 का [illegible] क्लेम स्वीकार करते हुए बंटवारे

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:42 IST
Reason: SelfAttested

की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–01–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी उन्हें दिनांक 07–08–2019, जिसकी प्रमाणित प्रति उन्हें दिनांक 04–12–19 एवं 30–12–2019 को प्राप्त को हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः अपील अन्दर मयाद भुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपील बेरून मयाद होने एवं देरी का कोई स्पश्ट कारण अंकित नहीं किये जाने से अपील मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा दफा 5 के प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किये गये हैं वह उचित एवं पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होते हैं, फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृश्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

वक्त बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया किया कि आराजी नंबर 650, 656 व 2701/673 से रेस्पोन्डेन्ट का कोई संबंध नहीं है, यह आराजी अपीलान्ट के पिता वेणा को आवंटित हुई है, जिसे फुट स्टेप पर अपीलान्ट आये हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधान के विपरीत जाकर केवल कयासी आधारों पर निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्ट द्वारा वाद में चाहा गया अनुतोश उसे दिलाया जाकर प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:42 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30–01–2017 को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 28–09–2007 को उभयपक्षों को सुनकर दस्तोवजी साक्ष्यों एवं बयानों के आधार पर वादी/अपीलान्ट का वाद आंि ाक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया है, जिसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत होने पर पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने के आधार पर अपीलान्ट/वादी की अपील स्वीकार कर मूल राजीनामा अधिनस्थ न्यायालय में तस्दीक कराने हेतु प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट को राजीनामा प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 03–09–2012 से दिनांक 02–01–2017 तक कई अवसर दिये गये, किन्तु उनके द्वारा मूल राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय व डिक्री अनुसार पुनः वादी/अपीलान्ट का वाद आंि ाक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जो उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 28–09–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:42 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

**ई वरलाल पिता स्वर्गीय वेणा उर्फ मेघवाल**
**वेणीराम मेघवाल निवासी नुरडा, तह. मावली, जि. उदयपुर व अन्य**

बनाम

**भगवानलाल पिता लाला जी निवासी नुरडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**4 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**...30**.....माह.....**01**.....**2017**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**28**....माह.....**09..**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री राम ाक दीपी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री रामलाल मेघवाल** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30–01–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**28**.....माह.....**09**.....**2021** को जारी किया गया ।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.10.25 11:44:42 IST
Reason: SelfAttested